1160

कार्यालय नगर परिषद, शेखपुरा

पत्रांकः—2305 /

प्रेषक

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, शेखपुरा

सेवा में

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांकः—27/11/17 /

विषयः— नगर परिषद, शेखपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक 1386, दिनांक 01.09.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय संबंध में सूचित करना है कि वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, महालेखाकर, बिहार, पटना के पत्रांक सं0एल0ए0/एस0एस0—1/श0स्था0नि0/14566/166 दिनांक 27.07.2016 के आलोक में नगर परिषद्, शेखपुरा के द्वारा वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निराकरण कर नगर परिषद की बोर्ड की बैठक में दिनांक 11.08.2016 को अवलोकन उपरान्त प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 967, दिनांक 15.10.2016 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को भेज दिया गया है तथा इस संबंध में प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को समर्पित किया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन,

27/11/17

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, शेखपुरा।

अनुलग्नक — यथोक्त ।

कार्यालय नगर परिषद, शेखपुरा

पत्रांकः ....967........ / दिनांक ......15.10.16...... /

प्रेषक

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, शेखपुरा

सेवा में

जिला पदाधिकारी
शेखपुरा।

विषयः– नगर परिषद शेखपुरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–1754/15–16 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–5656 दिनांक–14.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार (ले0प0) बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना से प्राप्त पत्र सं0–117 दिनांक–27.07.2016 के द्वारा वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–1754/15–16 के निम्नलिखित कंडिका के सामने अंकित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

कम	अंकेक्षण आपत्ति	प्रतिवेदन
1	2	3
1	(क) फैशन डिजायनिग एवं ब्यूटिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक अभिलेख अप्रस्तुत जिसके कारण प्रशिक्षण पर किया गया व्यय रू0–413393.00 का व्यय आपति अंतर्गत साक्ष्य के रूप में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया जाय एवं टुल किट कय में वैग कय पर किया गया व्यय रू0 27000.00 की वसूली से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	पत्रांक–316 दिनांक–07.04.2016 द्वारा 27000.00 वसूली हेतु संबंधित संस्था को नोटिस निर्गत की गई है। कार्रवाई के उपरांत अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।
	(ख) कम्प्युटर सॉफटवेयर ट्रेड में प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक अभिलेख अप्रस्तुत जिसके कारण प्रशिक्षण पर किया गया व्यय आपति अंतर्गत आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय एवं टुल किट कय में वैग, कम्प्युटर कॉपी एवं पैन पर किया गया व्यय 20060.00 की वसूली से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	पत्रांक–317 दिनांक–07.042016 द्वारा राशि 20060.00 व्यय से संबंधित नोटिस निर्गत की गई है। कार्रवाई के उपरांत अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
2	(क) सैरात बंदोबस्ती की बकाया राशि 5000.00 की वसूली से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	दिनांक–26.03.2015 को नगर परिषद शेखपुरा के कोष मे राशि जमा की गई है। साक्ष्य हेतु रोकड पंजी पृष्ठ संख्या–120 रोकड़बही
	(ख) श्यामा सरोवर पार्क शेखपुरा में हाई मास्ट लाईट के मोटर चोरी की प्राथमिकी बंदोबस्तधारी द्वारा नही करने के कारण हाई मास्ट लाईट के मोटर की रकम के बराबर राशि की वसूली कर साक्ष्य दिया जाय।	बन्दोबस्तधारी को नोटिस निर्गत पत्रांक–347 दिनांक–07.04.15 एवं पत्रांक–398 दिनांक–16.04. 2015 द्वारा की गई।
	(ग) वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए अनुमण्डल स्थित शौचालय की बंदोबस्ती नही होने एवं विभागीय वसूली नही होने के कारण आर्थिक नुकसान की राशि 6000.00 संबधित व्यक्ति से वसूली कर साक्ष्य दिया जाय।	नया सैरात का निर्माण कर बन्दोबस्ती हेतु सूचना प्रकाशन कराया गया था। निदेश के आलोक में अनुपालन किया जाएगा।
3	मोबाईल टावर पर पंजीयन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि 2.40 लाख की वसूली कर साक्ष्य दिया जाय।	दिनांक–05.03.2016 को जमा राशि 0.40 लाख एवं 09.03.2016 को जमा राशि 2.00 लाख रोकड बही के पृष्ठ संख्या–83 एवं 91 पर है।
4	कर संग्रहकर्त्ता श्री अर्जून प्रसाद से कर संग्रहण की राशि रू0 24546.00 वसूल कर साक्ष्य दिया जाय।	कर संग्रहकर्त्ता श्री अर्जून प्रसाद के द्वारा वसूली की गई राशि का नगर परिषद शेखपुरा के कोष में दिनांक–29.04.2016 को जमा कर दी गई है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
6	पूर्व के वर्षो का एवं 2013–14 तथा 14–15 के वर्ष में जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क की बकाया 26752.00 वसूल कर साक्ष्य दिया जाय।	बोर्ड की बैठक की छाया प्रति संलग्न है।
9	(क) एस0जे0एस0आर0वाई0 के अंतर्गत वार्ड न0–06 में मुख्य सडक से कमला पान दुकान तक पी0सी0सी0 निर्माण में विलम्ब से कार्य पूर्ण करने के कारण संवेदक से विलम्ब तक की राशि 27370.00 वसूलकर साक्ष्य दिया जाय।	कनीय अभियंता के द्वारा यह बताया गया था कि योजना कार्य वास्त में 23.08.2014 को पूर्ण हो चुकी थी किन्तु मापी पुस्त 30.08.2014 को तैयार की गई एवं भूल वश 23.08.2014 के स्थान पर 30.08.2014 दर्ज हो गई थी सुधार कर मेरे द्वारा अपना हस्ताक्षर बनाया गया। निदेशानुसार आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

	(ख) नगर परिषद के योजना सं0 01/13–14 (चतुर्थ राज्य वित्त) के योजना विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि 28490.00 वसूलकर साक्ष्य दिया जाय।	उक्त योजना भुगतान के समय कनीय अभियंता एवं अभिकर्त्ता के द्वारा यह बताया गया था कि योजना कार्य वास्तव में 25.07.2013 को पूर्ण हो चुकी थी किन्तु मापी पुस्त 30.07.2013 को तैयार की गई एवं भूल वश 25.07.2013 के स्थान पर 30.07.2013 दर्ज हो गई थी जिसे सुधार कर कनीय अभियंता के द्वारा अपना हस्ताक्षर बनाया गया।
	भाग–III	
3	नगर परिषद के दुकानो पर बकाया किराया 1.29 लाख के वसूली से संबंधित कार्रवाई एवं वसूली की गई राशि के जमा से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	वर्ष 2015–16 तक में 1.29 लाख के आलोक में कुल वसूली 2015–16 तक के लिए कॉलम 8 में अंकित वसूली रू 29827.00 की गई। शेष राशि 99173.00 .वसूली किये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर वसूली की कार्रवाई की गई है।
4	नगर परिषद द्वारा विभिन्न वर्ष 14–15 तक गृह कर की राशि रू0 10.12 लाख कार्रवाई थी जिसके वसूली से संबंधित कार्रवाई एवं वसूली की गई राशि का साक्ष्य दिया जा।	गृहकर मांग एवं वसूली पश्चात बकाया 10.12 लाख वसूली हेतु कैम्प आदि एवं अन्य प्रकार से वूसली कराई जा रही है। माह मार्च 2016 तक का वसूली 707993.00 की गई है। साक्ष्य हेतु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 04.04.2016 की प्रति संलग्न है।
5	नगर परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं पर दिया गया अग्रिम रू0 637900.00 के समायोजन से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	संबंधित राशि कोष में जमा कर दी गई है। सक्ष्य अभिप्रमाणित संलग्न है।
6	स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर की राशि 571578.00 सरकारी शीर्ष में जमा कर साक्ष्य दिया जाय।	नगर निकाय की स्थिति अति दयनीय होने के कारण उक्त शीर्ष में जमा नही की जा सकी है।
7	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनो पर बकाया भवन कर रू0 32611277.00 के वसूली से संबंधित कार्रवाई एवं वसूली से संबंधित साक्ष्य दिया जाय।	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवन पर बकाया हेतु नोटिस निर्गत की कार्रवाई की जा रही है।
11	सी0एफ0एल0 बल्ब के क्रय की संचिका अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय एवं उसकी सूचना विभाग को दी जाय।	संचिका अगले अंकेक्षण में दिखा दी जाएगी क्योकि अंकेक्षण के समय रोकड़पाल के पिताजी के र्स्वगवास हो जाने के कारण संचिका उपलब्ध नही कराई जा सकी थी।
12	विभिन्न कर्मचारियों के लिए क्रय किये गये मोबाईल सेट की संचिका अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय एवं इसकी सूचना विभाग को दी जाय।	विभिन्न कर्मचारियों के लिए क्रय किये गये मोबाईल सेट की संचिका अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। क्योकि अंकेक्षण के समय रोकडपाल के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण संचिका उपलवध नही कराई जा सकी थी।
13	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार बिहार पटना को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को दी जानी चाहिए।	दिनांक–11.08.2016 के बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना कार्यालय का पत्रांक–5656 दिनांक–14.08.2016 में दिये गए निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

अनुलग्नक
32 पृष्ठ

विश्वासभाजन

15/10/16

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, शेखपुरा

ज्ञापांकः–967/ दिनांकः–15/10/16/

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

15/10/2016

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, शेखपुरा